संख्या-24/2018/128/26-3-2018-10(12)/2014

प्रेषक,

रवि शंकर मिश्र,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवामें,

निदेशक,
समाज कल्याण,
उ0प्र0, लखनऊ

समाज कल्याण अनुभाग-3 लखनऊः दिनांकः 07 फरवरी 2018

विषयः-चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 में जनपद सीतापुर की तहसील महमूदाबाद के ग्राम मुर्तजापुर (मानापुर) में कक्षा-1 से 12 तक 480 क्षमता के राजकीय आश्रम पद्धति बालिका विद्यालय की स्थापना/भवन निर्माण हेतु धनराशि स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या-11/2015/2340/26-3-2015-10(12)/2014, दिनांक-27.03.2015, शासनादेश संख्या-125/2015/3921/26-3-2015-10(12)/2014, दिनांक-30.10.2015, शासनादेश संख्या-119/2016/1517/26-3-2016-10(12)/2014, दिनांक-14.06.2016 एवं शासनादेश संख्या-194/2016/5230/26-3-2016-10(12)/2014, दिनांक-02.11.2016 के क्रम में निदेशालय, समाज कल्याण के पत्रांक-1297-98/स0क0/अ0प0वि0-प्रकोष्ठ/मुर्तजापुर-सीतापुर(59)/2017-18 दिनांक-04.01.2018 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जनपद सीतापुर की तहसील महमूदाबाद के ग्राम मुर्तजापुर (मानापुर) में कक्षा-1 से 12 तक 480 क्षमता के राजकीय आश्रम पद्धति बालिका विद्यालय के निर्माण हेतु व्यय वित्त समिति द्वारा अनुमोदित लागत रू0-1264.92 लाख के सापेक्ष 95 प्रतिशत धनराशि रूपया-1201.67 लाख की स्वीकृत निर्गत की गयी थी। उक्त अनुमोदित लागत पर प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के क्रम में वर्ष 2017-18 में अवशेष किश्त के रूप में 05 प्रतिशत धनराशि रूपये-63.25 लाख (रूपये तिरसठ लाख पच्चीस हजार मात्र) की धनराशि व्यय किये जाने की श्री राज्यपाल निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबंधों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(1)-उक्त स्वीकृत धनराशि निदेशक समाज कल्याण उ0प्र0 कार्यदायी संस्था के साथ एम0ओ0यू0 (अनुबंध) करने के बाद ही आहरित करके कार्यदायी संस्था यू0पी0 स्टेट कांन्स्ट्रक्शन एण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलेपमेन्ट कोरपोरेशन लि0 को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करेंगे। धनराशि आहरित कर पी0एल0ए0 अथवा बैंक/डाकघर खाता में नहीं रखी जायेगी।

(2)-उक्त धनराशि का आहरण वास्तविक उपयोगितानुसार किया जायेगा। निर्माण कार्य की भौतिक प्रगति का विवरण यथासमय शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।

(3)-प्रश्नगत निर्माण कार्य की गुणवत्ता एवं मात्राओं के संबंध में कार्यदायी संस्था के सक्षम अधिकारी उत्तरदायी होगें।

(4)-उक्त प्रायोजना के अंतर्गत प्रस्तावित कार्यो का निर्माण कार्य निर्धारित समय में पूर्ण करा लिया जाये।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

(5)-उक्त प्रायोजना के अंतर्गत प्रस्तावित कार्यो की द्विरावृत्ति को रोकने की दृष्टि से यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि यह कार्य पूर्व में अन्य योजना/कार्यक्रम के अंतर्गत न तो स्वीकृत हैं और न वर्तमान में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम में आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है।

(6)-उक्त प्रायोजना प्रस्ताव का परीक्षण लागत आगणन में प्रस्तावित विशिष्टियों एवं कार्य प्रावधानों को यथावत् मानते हुए किया गया हैजिनमें कोई उल्लेखनीय परिवर्तन जैसे नये कार्य बढाना,कार्यो के आकार/क्षेत्रफल में वृद्धि एवं अन्य उच्च विशिष्टियां इस्तेमाल करना इत्यादि, व्यय वित्त समिति का पूर्व अनुमोदन प्राप्त किये बिना नहीं किया जायेगा। इसके अतिरिक्त समिति द्वारा अनुमोदित कार्यो की तकनीकी स्वीकृति निर्गत करने से पूर्व विस्तृत डिजाइन/डाइंग बनाते समय प्रयोजना लागत में यदि 10 प्रतिशत से अधिक वृद्धि होती हैं तो इस स्थिति में पुनरीक्षित प्रायोजना प्रस्ताव पर 03 माह के अन्दर समिति का पुनः अनुमोदन प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा अन्यथा बाद में पुनरीक्षित प्रायोजना लागत के प्रस्ताव पर विचार नहीं किया जायेगा ।

2- उपर्युक्त पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 के अनुदान सं0-83 के अंतर्गत लेखाशीर्षक-''4225-अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछडे वर्गो के कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय-01-अनुसूचित जातियों का कल्याण-789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना-07-राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय-24-बृहद निर्माण कार्य'' के नामे डाला जायेगा

यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-8/2017/बी-1-1190/दस-2017- 231/2017, दिनांक 03 अगस्त 2017, में निहित व्यवस्था के अधीन जारी किए जा रहे हैं।

भवदीय,
रवि शंकर मिश्र
अनु सचिव।

<u>संख्या-24/2018/128(1)/26-3-2018 तददिनांक-</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार,(लेखा एवं हकदारी)प्रथम उ0प्र0, इलाहाबाद।
2. महालेखाकार,(लेखा परीक्षा)प्रथम, उ0प्र0, इलाहाबाद।
3. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
4. जिलाधिकारी, सीतापुर।
5. जिला समाज कल्याण अधिकारी, सीतापुर ।
6. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3
7. प्रबंध निदेशक, यू0पी0 स्टेट कांन्स्ट्रक्शन एण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलेपमेन्ट कोरपोरेशन लि0।
8. निदेशक, एन0आई0सी0।
9. वित्त नियंत्रक, समाज कल्याण, उ0प्र0 लखनऊ।
10. बजट प्रकोष्ठ/कल्याण नियोजन प्रकोष्ठ ।
11. गार्डफाइल/इन्टरनेट प्रति।

आज्ञा से,
रवि शंकर मिश्र
अनु सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in